

राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की बैठक दिनांक 25.5.2010 का कार्यवाही विवरण

दिनांक 25.5.2010 को माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की बैठक का आयोजन किया गया जिसमें परिशिष्ट-अ अनुसार माननीय मन्त्रीगण एवं अधिकारीगण द्वारा भाग लिया गया।

बैठक के प्रारम्भ में शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग तथा अति० मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा बैठक में उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री, माननीय मन्त्रीगण एवं उपस्थित अधिकारियों का स्वागत किया तथा प्राधिकरण को पूरे राज्य में चल रही भीषण गर्मी, लू एवं तापघात के हालात से अवगत कराया। राज्य में पड़ रही असामान्य गर्मी, औसत से काफी बढ़े हुए तापमान एवं सभी जिलों में बन रहे लू के हालात के मध्येनजर, नरेगा के तहत चल रहे ग्रामीण रोजगार कार्यों एवं द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी की नगर पालिकाओं में चल रहे राहत कार्यों के कार्य समय को परिवर्तित करते हुए प्रातः 6 बजे से 10 बजे तक (बिना भोजन अवकाश की बाध्यता के) करने का प्रस्ताव उन्होंने प्राधिकरण के समक्ष रखा। साथ ही नरेगा/राहत कार्यों के अन्तर्गत वर्तमान निर्धारित टास्क दर को 70 प्रतिशत से घटाकर 50 प्रतिशत करने का प्रस्ताव रखा, जो जून माह के अन्त अथवा मानसून आने, जो भी पहले हो, तक जारी रहेगा। उक्त दोनों प्रस्तावों पर विचार विमर्श किया गया तथा प्राधिकरण द्वारा दोनों ही प्रस्तावों का सर्व सम्मति से अनुमोदन किया गया।

इसके उपरान्त शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग द्वारा राज्य के 27 अभावग्रस्त जिलों में चल रही राहत गतिविधियों का गतिविधिवार विवरण प्राधिकरण के समक्ष रखा। तत्पश्चात् उपस्थित अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव को विभागीय गतिविधियों से अवगत कराने हेतु आमन्त्रित किया।

अतिरिक्त मुख्य सचिव, कृषि एवं उद्यानिकी विभाग द्वारा राज्य में चल रहे खरीफ अभियान (कृषि ज्ञान आदान अभियान) की प्रगति एवं जायद में वितरित चारा मिनिकिट योजना की क्रियान्विति आदि के बारे में अवगत कराया। प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य द्वारा मौसमी बीमारियों को देखते हुए विभाग द्वारा की गई विशेष व्यवस्थाओं से अवगत कराया। प्रमुख शासन सचिव, जल संसाधन द्वारा मानसून आने से पूर्व की भीषण गर्मी की अवधि में पेयजल आपूर्ति की आपात योजनाओं की जानकारी दी। निदेशक, पशु पालन विभाग द्वारा पशु संरक्षण के किये जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। प्राधिकरण को यह भी अवगत कराया गया कि पशुपालन विभाग गौशाला/पशु शिविरों के पशुओं का निःशुल्क टीकाकरण हेतु सहमत हो गया है। अर्थात् 1 रु. प्रति पशु की वसूली उनसे नहीं करेगा।

आपदा राहत मन्त्री महोदय द्वारा आपदा प्रबन्धन व्यवस्थाओं के सम्बन्ध में अपने विचार रखे तथा बिजली की कटौती से पेयजल आपूर्ति में आ रही बाधा की ओर प्राधिकरण का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने वर्तमान परिस्थितियों में नगर पालिका क्षेत्रों में राहत कार्यों की श्रमिक सीमा और बढ़ाने की आवश्यकता भी प्रतिपादित की, जिस पर अध्यक्ष महोदय द्वारा भी सहमति व्यक्त की गई।

अध्यक्ष महोदय द्वारा बैठक को सम्बोधित करते हुए अकाल अवधि के दौरान चारा प्रबन्धन की समस्त व्यवस्थाओं की सराहना की और इस व्यवस्था में अनुदान बढ़ाकर दुगुना करने एवं निःशुल्क चारा मिनिकिट बांटकर हरे चारे के उत्पादन बढ़ाने के निर्णयों को प्रमुख रूप से सहायक बताया। पेयजल परिवहन में पंचायतों को सौंपी गई भूमिका के निर्णय को भी उन्होंने सामयिक

निर्णय के रूप में इंगित करते हुए पंचायतों की भूमिका सुनिश्चित होने व इस कारण शिकायतों में उल्लेखनीय कमी आने पर सन्तोष व्यक्त किया। वर्तमान में लगभग 16000 गाँवों/शहरों में टैंकरों द्वारा पेयजल परिवहन को अपने आप में एक चुनौती के रूप में निरूपित किया व पेयजल आपूर्ति में कोई बाधा न आवे, यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। उन्होंने नरेगा योजना में श्रमिकों के भुगतान में कुछ जिलों में विलम्ब बने हुए होने को अवांछित बताया। धनराशि के पर्याप्त रूप से उपलब्ध होते हुए भी भुगतान में विलम्ब पर चिन्ता व्यक्त की तथा तत्सम्बन्धी व्यवस्था को ठीक करने की आवश्यकता जाहिर की। उन्होंने कुछ स्थानों पर नरेगा में टास्क दर अत्यधिक कम आने की ओर ध्यान आकर्षित किया तथा निर्देश दिये कि असामान्य रूप से कम आ रही दरों के मामलों में जाँच की जानी चाहिए तथा कारणों की गहराई से खोज की जानी चाहिए, ताकि श्रमिकों को पूरी मजदूरी समय पर मिले। विभाग को इस विषय पर गम्भीरता से प्रयास करने चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि नरेगा के तहत पक्के कार्यों, निविदा प्रक्रिया में आ रही कठिनाईयों का समय समय पर अधिकारीगण मूल्यांकन करें व इस प्रकार समाधान करते चले कि जिससे भ्रष्टाचार भी न पनपे व अनावश्यक असन्तोष भी न फैले।

अध्यक्ष महोदय द्वारा गर्मी के मौसम को देखते हुए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा और अधिक सतर्कता व संवेदनशीलता से कार्य करने की आवश्यकता प्रतिपादित की। विभाग को अपनी मोनिटरिंग और सख्त करने के निर्देश दिए तथा यह अपेक्षा की कि लू का मरीज यदि चिकित्सा संस्थान में पहुँच जावे, तो उसका गम्भीरता से उपचार सुनिश्चित हो, ताकि उसे उसके बाद कोई खतरा न हो। इस हेतु चिकित्सा केन्द्रों में जो भी जरूरी इन्तजामात आवश्यक हो, वे किये जावें।

चारा डिपो एवं पशु शिविरों का लाभ राज्य के अधिक से अधिक पशुओं को मिले इस बारे में अपनी सम्मति जाहिर करते हुए अध्यक्ष महोदय द्वारा इन गतिविधियों में किसी प्रकार की गडबडी न हो, इस बाबत सख्ती से मोनिटरिंग किए जाने के निर्देश दिये व इस सम्बन्ध में जिला कलेक्टर के स्तर पर आवश्यक निरीक्षण कराए जाने पर जोर दिया।

आपदा राहत निधि मद में खोज एवं बचाव उपकरणों की आपदाओं के परिप्रेक्ष्य में समय रहते उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु उपलब्ध 10 प्रतिशत धनराशि से चिकित्सीय एवं जीवनरक्षक उपकरणों को ही प्राथमिकता से क्रय करने के शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन के प्रस्ताव पर भी प्राधिकरण द्वारा सहमति व्यक्त की गई।

निदेशक, मौसम विज्ञान विभाग द्वारा मौसम की वर्तमान स्थिति का विश्लेषण करते हुए विस्तार से अवगत कराया गया व मानसून की अब तक किए गए विश्लेषण के बारे में जानकारी दी गई।

इसके उपरान्त अध्यक्ष महोदय द्वारा शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों के निराश्रित/बेघर लोगों के लिए लू-तापघात से बचाने के उद्देश्य से आवश्यक शरणस्थलों की व्यवस्था के निर्देश दिये, जिसके लिए जहाँ सी.आर.एफ. में अनुमत हों वहाँ सी.आर.एफ. से व अन्य स्थितियों में स्थानीय निकायों (शहरी एवं ग्रामीण) के माध्यम से व्यवस्था कराने के निर्देश दिए। साथ ही नरेगा कार्यों पर श्रमिकों को मौसम अनुकूल बीमारियों की सभी दवाईयों एवं उपचार उपलब्ध कराने के निर्देश चिकित्सा विभाग को दिये।

अन्त में बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।



शासन उप सचिव

राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की बैठक दिनांक 25.5.2010 में उपस्थित मा० मंत्रीगण एवं अधिकारी गण की सूची

क्र०सं०	नाम एवं पदनाम
1	श्री ए.ए.खॉन, दुरुल मियां, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्री
2	श्री हेमाराम चौधरी, राजस्व मन्त्री
3	श्री हरजी राम बुरडक, कृषि एवं पशुपालन मन्त्री
4	श्री परसादी लाल मीणा, सहकारिता मन्त्री
5	श्री बृजेन्द्र सिंह ओला, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता मन्त्री
6	श्री महिपाल मदेरणा, जल संसाधन मन्त्री
7	श्री टी. श्रीनिवासन, मुख्य सचिव
8	श्री एस० अहमद, अतिरिक्त मुख्य सचिव, विकास एवं कृषि
9	श्री सी० के० मैथ्यू, प्रमुख शासन सचिव, वित्त
10	श्री सी० एस० राजन, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज
11	श्री राम लुभाया, प्रमुख शासन सचिव, जल संसाधन
12	श्री प्रदीप सैन, प्रमुख शासन सचिव, गृह
13	श्री तपेश पवार, प्रमुख शासन सचिव, पशुपालन एवं डेयरी विकास
14	श्री श्रीमत् पाण्डे, प्रमुख सचिव, मा० मुख्यमन्त्री।
15	श्री बी० एल० आर्य, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व
16	श्री बी० एन० शर्मा, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य
17	श्री तन्मय कुमार, शासन सचिव, आ० प्र० एवं सहायता
18	श्री रजत मिश्रा, सचिव, मा० मुख्यमन्त्री
19	श्री एस० एस० सिंह, निदेशक, मौसम विज्ञान विभाग, जयपुर।
20	डा० राजेश शर्मा, निदेशक, पशुपालन विभाग।